

SHRI TENNETI VISWANATHAM : You want to put the present kind of businessmen and educate the people.

DR. V. K. R. V. RAO : I am quite prepared to take advice from him as to what kind of businessmen should be put on the University Grants Commission. There are young business executives who are as good as anybody can think of in our way of life. who are educated, who are interested, who have got technical skill and whose participation in the matter of university policy making will be of great help in vocationalising and increasing the employment potential of our student community.

श्री अब्दुलगनी डार : मैंने कहा था कि बच्चों पर गधों का बोझ मत लादो। यूनिवर्सिटीज को पाँच हिस्सों में बाँट दो—इसके बारे में आप कुछ नहीं बता रहे हैं। उर्दू के बारे में भी आपने कुछ नहीं बताया।

डा० बी० के० आर० बी० राव : माननीय सदस्य अब्दुल गनी डार साहब ने जो कुछ कहा है, उसको मैंने सुना है। इस वक्त मैं यूनिवर्सिटीज ग्रान्ट्स कमीशन के बारे में भाषण दे रहा हूँ, प्राइमरीएजुकेशन के बारे में या बच्चों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ।

श्री अब्दुलगनी डार : इसलिए मैंने कहा है कि इसको पाँच हिस्सों में बाँटें।

DR. V. K. R. V. RAO : I entirely agree with Mr. Dar. and, I think, he would certainly not be unmindful of any moral support that he might get. I entirely agree with him. It is important to have morality ; it is important to have proper philosophy ; it is important to have spiritual values, peace and so on, integrated into the system of education. If it is in colleges education, it penetrates into primary teachers and, from them, it penetrates into students, I entirely agree with him. Something should be done. How to do that without violating the Constitution, without raising the hornet's nest by way of various religious teachings and so on is a problem on which we are engaged.

As far as students' unrest is concerned, I do not think it is necessary to speak on that subject at length. The House is very much aware of the problem.

Only one thing I would like to say before I finish and that is, while we educationists who are in colleges or in schools or in

the University Grants Commission or in the Ministry of Education, will see what we can do for the purpose of promoting students' welfare, preventing student indiscipline and diminishing student unrest, ultimately, it is the society which is responsible for what happens to students. There is a very famous saying in the Bhagwat Gita :

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥

This is from the Bhagwat Gita. This is what Lord Krishna told Arjuna. As the people in mighty places behave, so do the common people; what they say, what they do, so also the common people do.

Therefore, it very much depends upon us who claim to be leaders; it is on us, much more than on educationists, that the future of the student community and the solution of the problem of student unrest depends. I trust, Sir, the House will tomorrow adopt the Bill clause by clause and all the amendments I am moving and throw out the amendments which I do not want.

SHRI BALRAJ MADHOK : I hope Dr. Rao will continue to pilot the Bill at least.

SHRI LILADHAR KOTOKI : What about setting up a Central University at Shillong ? I made that point.

SHRI V.K.R.V. RAO : I am sorry. Regarding Shillong University, already we have received a resolution of the Meghalaya legislature. The matter has been taken up and I can assure him that the University will come into existence.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, the question is :

"That the Bill to amend the University Grants Commission Act, 1956, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted

17.37 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

OPENING OF BRANCHES OF NATIONALISED BANKS IN BIHAR

श्री भोगेन्द्र झा (अयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहस 9 मार्च के प्रश्न सं० 2121 के उत्तर से पैदा हुई है। सवाल यह था कि 2

[श्री भोगेन्द्र भा]

फरवरी को रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री एल०के० भाने बिहार सरकार के अधिकारियों और बिहार के गवर्नर से बातें की थीं, उस समय बिहार का मंत्रिमंडल नहीं चल रहा था, और उस बातचीत के बाद बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नयी शाखाएँ खोलने के बारे में निर्णय हुआ था। जो सवाल मैंने किया था और जिस का जवाब 9 मार्च को दिया गया उसके मुताबिक बिहार में 61 शाखाएँ खोलने का निर्णय हुआ था। बिहार का जो आकार है उसके लिहाज से वहाँ पर बैंकिंग की जो आवश्यकता है उसको देखते हुए नयी शाखाओं की यह संख्या बहुत ही नाकافی है। बिहार की जनसंख्या अब लगभग साढ़े पांच करोड़ हो गई है। जो बाँकड़े हैं उसके हिसाब से पूर्णिया में केवल दो शाखाएँ खोलने की बात है और वह भी एक शहर में। उस जिले में पूर्वी कोसी नहर के चलते एक नया विकास हो रहा है। खेती के लिए भी लोग कर्जा चाहते हैं और जमा करने की भी बात है। परन्तु पूर्णिया में जिला केन्द्र में, एक शहर में केवल दो शाखाएँ खोलने की बात तय हुई है और पूरा जिला बाकी है। यही हाल सहरसा के बारे में है वहाँ भी सिर्फ शहर में ही दो शाखाएँ खोलने की बात तय हुई है। इस प्रकार से जो 61 शाखाएँ खोलने की बात तय हुई है। उनको देखने से मालूम होता है कि बैंक के अधिकारी शहरों को छोड़ कर देहातों में जाना नहीं चाहते हैं, प्रखंड कार्यालयों में जाना नहीं चाहते हैं। जिले या मण्डल का जो मुख्यालय हो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। इस में रेलवे लाइन और पक्की सड़क का मामला है।

इसमें मुख्य बात यह है कि बिहार के 17 जिले हैं, नया जिला जो बनने वाला है उस का निर्णय टल गया है, उसमें से 15 में एक, दो, सात, बारह करके शाखाएँ खोलने के लिए तय हुआ है लेकिन जो जिले पलामू और दरभंगा हैं उनमें एक भी शाखा खोलने की बात तय नहीं हुई है। ये दोनों जिले पिछड़े हुए हैं, सार-

खंड का तो आदिवासी इलाका है जिस के विकास की अत्यंत आवश्यकता है लेकिन वहाँ पर एक भी शाखा खोलने के लिए तय नहीं हुआ है। पुरानी शाखा भी वहाँ नहीं है। और इसके अलावा 55 लाख की आबादी वाला दरभंगा जो जिला है, जो मेरे विचार में नहीं, बल्कि सारे देश में, सब से अधिक आबादी वाला जिला है, वहाँ एक भी शाखा नहीं खोलने का तय नहीं हुआ है। यह संगीन मामला है। तीन-तीन बार मैंने सवाल उठाया, अप्रैल में सरकार ने कहा कि देश में सबसे अधिक आबादी वाला जिला तो नहीं है, लेकिन बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला जरूरी है। उसके बारे में भी उन्होंने एक कायदा बताया कि जहाँ ट्रेजरी या सब-ट्रेजरी है या जहाँ रुपये का कारोबार होता है वहाँ शाखा खोलने की बात तय हुई है। यह नीति निर्धारित हुई है। उस प्रसंग में अपने दूसरे अतिरिक्त प्रश्न संख्या 841० में, जो 4 मई, 1970 का है, मैंने कुछ स्थानों का सुभाव दिया था जो प्रखंड के मुख्यालय हैं, जिनकी दो तीन लाख की आबादी है, जहाँ सब ट्रेजरी भी है, हथियार बन्द पुलिस भी खजाने के काम को ले आने तथा ले जाने के लिए रहती है, उन सब जगहों के मैंने नाम भी दिये जैसे बासोपट्टी, बेनी पट्टी, भंभरपुर, मधुआपुर, लोउका, हा, खुटाना, फूलपारस, भोगियारा, कमतील, सिहारा, पखिया, उभा गाँव, मधेपुर, बहेरा, कल्याणपुर, वारिस नगर, सत्रौली कुशीस वरस्थान, ताजपुर, बाबू बड़ई, आमबनिया, लोकाही घोघराबारी, और दूसरी जगहों के बारे में मैंने कहा। यह सभी प्रखंड मुख्यालय हैं या बड़े प्रमुख बाजार हैं और जहाँ सब-ट्रेजरी है। उस प्रश्न के जवाब में बताया गया कि चार जगहों के बारे में विचार हो रहा है। वह भी रिजर्व बैंक ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। उनमें से एक स्थान मधुबनी है, जो सब डिवीजन का मुख्यालय है और जहाँ ट्रेजरी भी है, तथा अब जिला होने जा रहा है,

वहां भी इनको देहात में जाने में तकलीफ हो रही है। ऐसी स्थिति में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, मैं ताज्जुब में हूँ कि कौन सी सरकार की नीति है जिसके मुताबिक उन्होंने शाखाएँ खोलने के बारे में यह निर्णय लिया है? कई जिलों में तो दो शाखाएँ हैं, वह भी मुख्यालय हैं, और दो जिलों में एक भी शाखा नहीं है। और उसको इन्होंने सेन्ट्रल बैंक के हवाले किया है, उसकी शाखाएँ खुलेंगी। तो जिन जगहों का मैंने नाम दिया था अपने प्रश्न में उन के बारे में सरकार ने कहा है कि मालूम पड़ता है कि शायद यहां पर सब-ट्रेजरी नहीं है। सरकार को इस की भी पूरी सूचना न मिल सकी कि वहां सब-ट्रेजरी है कि नहीं। जब कि मैंने कहा था कि यह प्रखंड मुख्यालय है और सब-ट्रेजरी का काम होता है। तो सरकार ने पूरी सूचना भी नहीं मंगायी। ऐसी स्थिति में जो हम चाहते हैं कि लोगों को कर्जा मिले, वह कैसे मिल सकता है?

मान्यवर, यह इलाका ऐसा है कि आपको शायद ताज्जुब हो कि बिहार ही देश में पिछड़ा हुआ है, उस में भी उत्तर बिहार में विद्युत की प्राप्ति प्रति व्यक्ति 13 किलोवाट है। दरभंगा जिले में, जो सब से हाल का सरकार का जवाब है 29 अप्रैल का, उसके मुताबिक प्रति व्यक्ति विद्युत की प्राप्ति 1.29 किलोवाट है। देश में 95 का औसत है, बिहार के लिये 73 का औसत है, उत्तर बिहार का औसत 13 है और दरभंगा जिले का प्रति व्यक्ति विद्युत प्राप्ति का औसत 1.29 किलोवाट है। विद्युत विभाग का कहना है कि विद्युत की प्राप्ति हो गयी है। लेकिन जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो कैसे विद्युत का उपभोग कर सकते हैं। और अगर कर्जा लें तो वहाँ के लोग कैसे महसूस करेंगे कि हम भी देश के एक अंग हैं?

इस प्रकार बिहार के 17 जिलों में से दो जिलों को सी फीसदी सरकार ने गायब कर

दिया, और उस में भी ऐसा जिला जो सब से अधिक आबादी वाला जिला है, जिस में 1.29 किलोवाट बिजली प्रति व्यक्ति प्राप्ति है। इसलिये मेरा आग्रह है कि नयी शाखा खोलने के बारे में जो निर्णय है विद्युत विभाग के मंत्री उसको जरा देखें और विचार करें कि अगर नयी शाखाएँ बैंक की नहीं खुलेगी तो दरभंगा जिले के लोग किस प्रकार आप की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे? मेरे 4 मई के प्रतारकित प्रश्न संख्या 8410 के जवाब में सरकार ने कहा है कि मालूम पड़ता है कि शायद वहां सब-ट्रेजरी नहीं है। जब कि मेरी जानकारी है कि वहाँ सब-ट्रेजरी है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए वहाँ पूरे बिहार में और शाखाएँ बढ़ाने की जरूरत है। उत्तर बिहार में आप ने एक, दो जगह किया है, लेकिन दो जिलों को सी फीसदी गायब कर दिया है, खासकर दरभंगा जिले के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि उस को कैसे इन्गोर कर दिया गया? मैं जानना चाहता हूँ कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह फैसला क्यों लिया है? अब आप श्री एल० के० भ्रा० को विदेश में भेज रहे हैं जिन्होंने देश की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ा है। यहाँ की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ कर के शायद विदेश में काम बिगाड़ने के लिए अब उन को भेजा जा रहा है।

लेकिन वह कौन सा अधिकारी है जो उस के लिए जिम्मेदार है? अगर सेन्ट्रल बैंक लीड बैंक हो गया है तो किस बजह से उस ने पूरे तरह से यह लीड ली कि हम एक भी शाखा नहीं खोलेंगे? अभी वह चार शाखाएँ खोलने का सुझाव दिया है, वह खोलीं नहीं है, खाली सुझाव दिया है जिस पर कि रिजर्व बैंक विचार करेगा।

अभी पिछले दिनों मैं बिहार के कई जिलों में गया था। हासत यह है कि वहाँ आम तौर

[श्री भोगेन्द्र झा]

से लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि बैंकों से उन्हें कर्जा मिलेगा। बैसे प्रचार रेडियो और प्रसन्नता से अवश्य कर्जों के लिए आवेदन देने का काफी कर दिया गया लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। उन बेचारे प्रामीणों से कहा जाता है कि कर्जा बैंक से प्राप्त करने के लिए उसके पास आवेदनपत्र भर कर दो लेकिन आवेदन लेने की कौन कहे, उसे ऋण प्राप्त करने के लिये आवश्यक आवेदन फार्म तक सप्लाई नहीं किये जाते हैं। उन बेचारों को वैसे ही निकाल दिया जाता है कि जाओ यहाँ कुछ नहीं है। हकीकत यह है कि वगैर घूस लिए तो आवेदन पत्र नहीं दिये जाते हैं। घूस न देने वालों को निकल जाने को कह दिया जाता है और आवेदनपत्र उन्हें नहीं दिये जाते हैं और कह दिया जाता है कि तुम आवेदनपत्र नहीं दे सकते हो। जब ऐसी स्थिति वहाँ पर विद्यमान है तो मैंने विवश होकर उन बेचारे प्रामीणों को कह दिया है कि जाकर दफ्तर घेर लो भले ही मेरे कुछ उधर के मित्र चाहे इसके लिए मुझे नक्सलवादी करार दे दें। इस के लिए मैंने विद्यार्थियों से भी कहा है कि वह बैंक के कार्यालय जाकर घेर लें और उन्हें ऋण प्राप्ति के हेतु आवश्यक फार्म देने को विवश कर दें। विद्यार्थी लोगों से मैंने कहा है कि वह बैंक के सम्बद्ध अधिकारियों को कह दें कि अगर वह उन फार्मों को नहीं भरते हैं तो वह उन्हें भर देंगे। अभी बन्द ही रोज हुए सी० एम० कालिज दरभंगा में चतुर्थ प्लान सम्बन्धी एक सिम्पोजियम हुआ जिस पर कि मैंने प्रीसाइड किया था और मैंने वहाँ पर विद्यार्थियों से यहाँ तक कह दिया कि जाकर वह प्रामीण लोगों को समझायें और उनसे कहें कि वह जाकर ऋण के लिए फार्म हासिल करें और उसके लिए अगर जरूरत हो तो कार्यालय घेर लें और उन्हें फार्म देने के लिए विवश कर दें... (व्यवधान)...

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) :

यह केवल उन का ऐटीच्यूड है। जनता बैंकों से कोआपरेट करती है। गड़बड़ फैलाना उनका उद्देश्य मालूम देता है।

श्री रवि राय (पुरी) : अगर कायदे से वगैर घूस लिये आवेदन पत्र दे दें और उसे फिर ले लें तो इस तरह की बात करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा।

श्री भोगेन्द्र झा : कुछ मेरे माननीय मित्रों ने जो ऐतराज किया है तो उनके उस ऐतराज को मैं बखूबी समझ सकता हूँ। हमारे देश और समाज में ऐसे लोग विद्यमान हैं जोकि स्वार्थवश चाहते हैं कि बैंकों से जरूरतमंदों को कर्जा न मिले और उन्हें जनता से भारी सूद की रकम एँठने का मौका मिलता रहे और यह बड़े खेद का विषय है कि वह स्वार्थी सूदखोर भारी सूद वसूल करके गांव के बेचारे गरीबों को लूट रहे हैं। इन के द्वारा हमारे बिहार में अभी भी 12 प्रतिशत : सालाना सूद लिया जा रहा है। 75 प्रतिशत : सालाना वसूल किया जा रहा है। यह कानून को तोड़ने वाले सूदखोर बनिये और महाजन आज भी अपनी लूट को जारी रखने में प्रयत्नशील हैं और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनकी सहायता व पैसे आदि के बल पर इस हाउस में कई संसम सदस्य बैठे हुए हैं। वह महाजन और सूदखोर चाहते हैं कि बैंकों से जरूरतमंदों को कर्जा न मिले और उनके प्राइवेट बैंक चालू रहें अर्थात् उनकी लूट जारी रहे... (व्यवधान)...

श्री क० ना० तिबारी (बेतिया) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने अनुचित बात कही है। यह लुट बनियों के पैसे और रूस के पैसे के बल पर यहाँ संसद में आये हुए हैं। उन्होंने जो एस्पॉर्शन किया वह एकदम अनुचित था।

इस के प्रलावा उन्होंने जो यह लोगों और विद्या-
 थियों से कहा कि बैंकों को घेर लो तो हम इसे
 ठीक नहीं समझते हैं, हम चाहते हैं कि बैंक ठीक
 से खुलें और उनमें और जनता में सहयोग हो।
 इस तरह की गड़बड़ हम नहीं चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : श्री भोगेन्द्र झा ने
 जो मसौदा पर ऐस्पॉज किया है वह अनुचित
 है और वह एक्सपंज होना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने
 यह किसी के लिए नाम लेकर नहीं कहा था
 बाकी कोई उसे अगर अपने ऊपर ढालना चाहे
 तो इस की उसे आजादी है। मैं साथ ही यह
 भी साफ कर देना चाहता हूँ कि जो इल्जाम
 मैंने लगाया है वह अगर गलत साबित होता है
 तो मैं माफी भी मांगने को तैयार हूँ लेकिन क्या
 कोई भी व्यक्ति इस बात से घ्राज इंकार कर
 सकता है कि हर एक गांव में इन सूदखोर महा-
 जनों और बनियों द्वारा कानून का उल्लंघन नहीं
 हो रहा है या गैरकानूनी सूदखोरी नहीं चल
 रही है? एक भी महाजन से जाकर नहीं पूछा
 जा रहा है कि वह कानून को इस तरह से क्यों
 तोड़ रहा है और गरीबों को क्यों लूट रहा है?
 दरअसल जैसा मैंने कहा कि वह सरकारी
 अधिकारियों के प्रिय हैं और उन्हें नजरबंदाज
 किया जाता है। यह मानी हुई बात है कि
 सूदखोरों का तबका नहीं चाहता है कि बैंकों की
 शाखाएँ खुलें। उधर बैंकों के अधिकारियों द्वारा
 चूँकि निहित स्वाधों से उनकी मिली भगत है
 इसलिए ज़रूरतमंद गरीब लोगों को आवेदनपत्र
 ही नहीं दिया जाता है और उनसे निकल जाने
 को कह दिया जाता है। बगैर घूस लिये उनको
 आवेदनपत्र तक नहीं दिया जाता है। कोई
 अगर आवेदनपत्र ले भी गया तो उसका आवे-
 दनपत्र स्वीकार नहीं किया जाता है, उसे मंजूर
 करने की बात तो अलग छोटिये। कर्जों के लिए

पैसा बैंकों से मिलता भी है तो उन्हीं लोगों की
 मिलता है जोकि पूंजी के मालिक हैं। जैसे
 वालों को ही बैंकों से कर्जा मिलता है। इस
 तरह से हम देखते हैं कि यह कर्ज गलत तरीके
 से दिये गये और दरअसल जो राष्ट्रीयकरण का
 मकसद था उसका उल्लंघन ही हुआ है। हो
 यह रहा है कि घूस देकर वह लोग कर्जा ले
 रहे हैं और इस तरह से बैंक से वाजिब सूब पर
 कर्जा लेकर फिर सूदखोरी उस से कर रहे हैं,
 गैरकानूनी सूदखोरी इस तरह से यह
 जैसे वाले लोग कर रहे हैं। इसलिए आप
 के जरिए मेरा दूसरा आग्रह यह होगा कि
 सरकार नियम बनाये कि आवेदनपत्र खुले
 आम और मुफ्त मिलेगा। आप इनका
 एलान रेडियों से कर दें और हर बैंक में यह
 लिख कर टांग दिया जाये कि आवेदन के फार्म
 फला जगह रखे हुए हैं। आप 100-50 फार्म
 रख दें। कीमत भी रखनी हो तो उसके लिए
 आप 5, 10 पैसा रख दें ताकि फार्म मिलने में
 लोगों को दिक्कत न आये। साथ ही यह समय
 भी निर्धारित कर दें कि आवेदन पत्र मिलने के
 10-15 दिन में या एक महीने के भीतर, जो भी
 समय आप रखना चाहें, उस पर निर्णय कर
 लिया जायेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो
 बैंक के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जायेगी,
 अगर अधिकारी इंकार भी कर देगा तो उसकी
 प्रतीति हो सकती है, लेकिन निर्णय जल्दी हो
 जाना चाहिए। आज तो महीने के महीने गुजर
 जाते हैं लेकिन कोई निर्णय उस पर नहीं हो
 पाता है। कहा जाता है कि जब तक इतने
 प्रतिघत नहीं होंगे, हम फँसला नहीं करेंगे।
 घ्राज लोगों में बढ़ा असन्तोष है। लोगों का तो
 कहना यह है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के
 बाद बैंक सेठ लोगों के हाथों में चले गये हैं यह में
 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सहयोग करना
 चाहते हैं। हमारे कुछ मित्रों ने इस पर ऐतराज
 किया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम
 मन्कोले तबके के लोगों को पम्पिंग सेट बगैरह

[श्री भोगेन्द्र झा]

के बॉरिंग के लिए पैसा मिले, बिजली के लिये पैसा मिले ।

मैंने छात्रों से अपील का है कि वह एलान कर दें कि हम मुफ्त फार्म भरेंगे, हम फार्म ले कर दफतरो में जायेंगे और पैसा दिलवायेंगे । अगर वह पैसा नहीं देंगे तो हम घेर कर बैठ जायेंगे क्योंकि यह उनका नैतिक अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है । अगर कोई चोर घर में सेंध लगाता है या जब कतरता है तो हम उस को पकड़ने के लिए पुलिस को बुलाने नहीं जाते, हम उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देते हैं । अगर कोई घूस लेगा तो हम को कानूनी अधिकार है कि हम उसको गिरफ्तार करवा कर कोर्ट के हवाले करवाएं । ऐसी हालत में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, तब मैंने विद्यार्थियों से अपील है कि वह इस काम में मदद करें । इसके लिये श्री सेठी भी कोई इलाज निकालें कि लोगों को फार्म मिलने में कोई दिक्कत न हो, आवेदन-पत्र मिलने के बाद समय निर्धारित कर दें कि इतने दिनों में निर्णय हो जायेगा और अगर कोई इन्कार करेगा तो उसके बारे में शीघ्र से शीघ्र जांच करवाई जायेगी ।

शाखाएं खोलने के बारे में वह तुरन्त निर्णय लें और जांच का आदेश दें कि क्या वजह है कि जो देश का सबसे अधिक आबादी वाला हिस्सा है वहाँ शाखा नहीं खोली गई । कहीं पर एक आब शाखाएं खोल दी गई हों यह बात दूसरी है, लेकिन अधिक शाखाएँ नहीं खोली गई । यू० पी० में भी मैं चाहूंगा कि बैंकों की सुविधाएँ दी जायें । इससे लोगों को पैसा भी मिलेगा और बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी । मैं चाहूंगा कि इन बातों का स्पष्टीकरण किया जाये ।

श्री शिव चन्द्र झा (मधुबनी) : यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दरभंगा और पलामू में एक

भी शाखा खोलने के मुताबिक स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, और अभी तक जहाँ पर खोलने का सुझाव दिया गया है वहाँ पर भी नहीं खोली जा रही है । यह दरभंगा के साथ सरकार की बढ़ी ज्यादाती है और वहाँ की जनता इस के खिलाफ आवाज उठायेगी ।

इस सन्दर्भ में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ । पहला सवाल यह है कि क्या खास वजह है जिससे आपने दरभंगा और पलामू जिलों को छोड़ दिया है ? आप साफ साफ बतलाइये कि क्या वहाँ शाखाएँ नहीं खुलेंगी ? उस के रास्ते में एकानिमिक फेक्टर्स थे या बैंकिंग की दिक्कतें थीं ? दूसरा सवाल यह है कि यदि आप यह समझते हैं कि नेशनलाइज्ड बैंकों से कर्जा दिया जाना चाहिए, तो जो स्टेट बैंक की शाखाएँ हैं सब-डिवीजनल लेवल पर और हेडक्वार्टर लेवल पर उनसे काम चल सकता है, तो आप बतलाइये कि अब तक जो स्टेट बैंक की शाखाएँ हैं उनसे लोगों को कितना कर्जा मिला है ? छोटे से छोटे और मध्यम आय वालों ने कितनी दरखास्तें दी हैं और उनकी कितना पैसा दिया गया है जहाँ जहाँ सब-डिवीजनल लेवल पर बैंक की शाखाएँ खोली गई हैं । तीसरी बात में यह जानना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप नेशनलाइज्ड बैंकों की शाखाएँ मुस्तकिल तौर पर नहीं खोल पाते हैं वहाँ मोबाइल बैंक चलायेंगे, जो कि हफ्ते में दो या तीन बार जाकर देहातों में पैसा लेने और देने का काम कर सकें ? बहुत से लोग आज याता-यात की दिक्कत की वजह से बैंकों तक नहीं पहुँच पाते हैं, औरतें भी वहाँ पर आ जा नहीं सकती हैं । नतीजा यह होता है कि बैंकों की सुविधा लोग पूरी तरह से नहीं उठा सकते । नेशनलाइज्ड बैंक्स की आम शाखाएँ खोलेंगे । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मोबाइल बैंक भी चालू करेंगे ? क्या आप मोबाइल बैंक का इंतजाम भी करेंगे ? जब तक नेशनलाइज्ड बैंक्स की शाखाएँ नहीं खुलती हैं तब तक क्या

स्टेट बैंक को केन्द्र मान कर ग्राम मोबाइल बैंक खोलने की योजना पर विचार कर रहे हैं या नहीं ?

कर्ज देने के बारे में आपने कुछ रूपरेखा तो तैयार कर ली होगी। जो इलाका जितना पिछड़ा हुआ हो वहां कर्ज की शर्तें आपको उतनी नम्र बनानी होंगी। वहां रूपरेखा जो आप बनाएं वह नम्र बनायें। लैंडलैस जो लोग हैं जिनके पास रहन रखने के लिए जमीन नहीं है, उनको कर्ज देने के बारे में जो टर्मज एण्ड कंडि-शंज हैं उनको आपने तय कर लिया है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? यदि कोई एम. पी. या एम. एल. ए. रिपोर्ट करता है किसी लैंडलैस लेबरर का केस तो क्या आप ऐसे निर्देश जारी करेंगे कि इतने से ज्यादा रुपया उसको कर्ज के तौर पर नहीं दिया जायेगा और इससे नीचे अगर राशि होगी तो वह दे दिया जाएगा, उस को इतनी रकम कर्ज के तौर पर दे दी जाएगी?

श्री रामाबतार शास्त्री (पटना) : यह बड़े दुख की बात है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों की 61 शाखायें खोलने का ही सरकार विचार रखती है। यह उत्तर नी मार्च को दिया गया था। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके बाद से अब तक कहीं कोई शाखायें खोली गई हैं और अगर खोली गई हैं तो किन किन जगहों पर खोली गई हैं ? सवाल के जवाब में आपने कहा था कि प्रोजेक्ट है। लेकिन उसके बाद अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप ने कोई अवधि निर्धारित की है कि इस अवधि के भीतर ये 61 शाखायें खोल दी जाएंगी, यदि हाँ, तो उसका ब्योरा आप हमें दें।

कर्ज देने में बहुत भ्रष्टाचार होता है, इस का अनुभव मुझे भी है। मैं पटना शहर से जाता

हूँ। लोग मेरे पास आए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि वे शर्तें पूरी करते हैं लेकिन चूंकि वे साइकल या रिक्शा पर जाते हैं, इसलिए उन को कर्ज नहीं दिये जाते हैं लेकिन कुछ लोग कारों में या टैक्सियों में बैठ कर जाते हैं, उनको जल्दी से मिल जाते हैं। कार या टैक्सी वाला कुछ पूजा भी चढ़ाता होगा लेकिन साइकल वाला पूजा में कुछ नहीं दे सकता है। कई बार मुझे लिखना पड़ा बड़े अफसरों को और तब जाकर उन बेचारों को कर्ज मिले। इस तरह के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने कौन सी तरकीब निकाली है ?

बैंकों से उद्योगपतियों और किसानों सभी को ऋण दिये जायेंगे। इस बीच जो बैंक खोले गए हैं उन बैंकों से उद्योगपतियों को कितने कर्ज मिले हैं और किसानों को कितने मिले हैं, इन दोनों का योग क्या है, यह मुझे बताया जाए अलग अलग।

क्या आपने यह निर्धारित किया है कि दरस्वास्त देने के इतने दिन बाद या इतने दिनों के भीतर जिन को ऋण देना है, उनको ऋण दे दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई है उसको पूरा कर लिया जाएगा ? अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो उसका ब्योरा दिया जाये।

श्री रवि राय (पुरी) : बिहार देश के पिछड़े हुए राज्यों में से एक है। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखायें खोलने के बारे में क्या आपने कोई फ्रेश प्रोग्राम बनाया है ? अगर बनाया है तो उसकी शर्तें क्या हैं ? बैंक की शाखायें किसी इलाके में या किसी कसबे में खोलने के बारे में आपने क्या शर्तें सामने रखी हैं, यह बताया जाए ?

श्री भोगेन्द्र झा ने सवाल उठाया है यह। यह कहा गया है कि छोटे लोगों को कर्ज दिये

[श्री रविराय]

जायेंगे। सरकार की भी यह नीति है कि उन को कर्ज मिलें और सभी ओर से यह मांग भी की जा रही है कि छोटे लोगों को कर्ज मिलने चाहिये। लेकिन अभी तक लोगों को इसका पता नहीं चल पाया है कि उनको कर्ज मिल सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई प्रचार सरकार द्वारा इस के बारे में किया जा रहा है? रेडियो से इसका प्रचार हो रहा है? किस तरह से छोटे लोगों को, पिछड़े हुए लोगों को आप इसके बारे में परिचित करा रहे हैं? मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार आम लोगों तक यह सूचना पहुंचाने के लिए उनको बैंकों से रुपया मिल सकता है, प्रचार के सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है।

18 hrs.

स्टेट बैंक और कामर्शियल बैंक्स के अफसर पुराने दिमाग और नौकरशाह दिमाग के हैं। सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के साथ ही इस नयी नीति की घोषणा की है कि छोटे लोगों को भी बैंकों से कर्ज दिया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों के अफसरों के सोचने के ढंग में परिवर्तन लाने के लिए क्या उपाय कर रही है, ताकि उसके द्वारा घोषित नीति को सही रूप में कार्यान्वित किया जा सके।

मेरे मित्र, श्री कण्ठू, ने अपने चुनाव क्षेत्र के कुछ हरिजनों के बारे में उनके नाम देकर यह पूछा था कि उन्होंने बैंक से कर्जा लेने के लिए दरखास्त दी थी, क्या उनको कर्जा मिला है। श्री सेठी ने उत्तर दिया था :

"Under the law, the State Bank of India is prohibited from disclosing such information of a confidential nature."

हो सकता है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने से पहले पुराने बैंक कानून में इस तरह का कोई

नियम हो। लेकिन यदि इस नियम को इसी प्रकार जारी रखा गया, तो हम को पूछने पर भी मंत्री महोदय से यह सूचना नहीं मिल सकेगी कि छोटे लोगों, किसानों आदि को बैंकों से किस तरह रुपया मिलता है, मिलता भी है या नहीं। इसलिये क्या मंत्री महोदय इस नियम में उचित परिवर्तन करने की व्यवस्था करेंगे, ताकि सवाल पूछने पर हम को यह सूचना मिल सके कि किन किन लोगों को बैंकों की ओर से कर्ज दिये गये हैं?

जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर बहस हो रही थी, तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि इस बारे में जल्द से जल्द स्कीम लाई जायेगी कि नये बैंक कहाँ कहाँ खोले जाएंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भ्रगले सत्र में इस प्रकार की स्कीम सदन के सामने रखी जायेगी।

SHRI C. M. KEDARIA (Mandvi) : I want to put a question.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Only those whose names have come out in the ballot can put questions.

SHRI S. KUNDU (Balasore) : You mentioned the rule, but there is also a convention that in your discretion you can allow others. Since there are only three Members, you may allow me.

SHRI C. M. KEDARIA : I wanted to know regarding the tribal area.

MR. DEPUTY-SPEAKER : We have to go according to the rules. Otherwise it will not be possible to conduct the business of the House.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : After the nationalisation of the banks, it was decided that the banks should open branches in a big way, especially in the unbanked areas, and that is why the Reserve Bank, decided that as far as this year is concerned, they would be opening

about 1300 branches, out of which 75 per cent would be in the unbanked areas.

In order to avoid delay and in order to have some criteria, the Reserve Bank decided that towns as defined in the 1961 census classification would be considered unbanked areas. A town is defined in the 1961 census to be having a density of not less than 1000 per sq. mile, a population of 5000, three-fourths of the occupation of the working population should be outside agriculture, the place should have a few pronounced urban characteristics and amenities such as newly founded industrial areas, large housing settlements, places of tourist importance which have been recently served with civic amenities, etc.

I would not go into the question whether this decision of the Reserve Bank is ultimate decision and for all time to come, and whether better criteria for opening of branches should not be adopted, but the main question is that out of these 1300 branches, the banks are trying to go into such areas where there are no branches and where banking facilities are not available.

I admit that as far as Darbhanga is concerned, even from the all India statistics point of view, it is a very backward district. The all-India average is about 70,000 people per branch. The average for Darbhanga district is about 3 lakhs of people per branch. From that point of view Darbhanga district could be classified as a backward district in the matter of banking facilities according to All India standards. In the same way some of the other districts which the hon. Member mentioned may be classified as backward districts.

As for the question of opening branches there has been a certain policy according to which each bank is allotted certain districts and that bank is called the lead bank for that district. It is for the lead bank to survey the rural areas in that district where branches should be opened so that the facilities of banking could be taken to the people of those areas.

The main idea in extending banking facilities to the rural area is two-fold. Agriculturists, small traders and other artisans who are unable to get bank loans should get preference in getting loans and banking facilities. The other idea which is important and crucial idea even from the expansion point of view is that there should be massive mobilisation of deposits. Otherwise we shall not be able to expand banking facilities in the manner that the hon. Member desires. The hon. Member suggests that there should be a branch at least in every block. I should welcome a situation where we can open a branch in every block. By opening a branch the bank undertakes certain expenses. The salaries in the banks are substantial. I am quite sure that when a bank opens a branch in a rural area it is going to create social tensions. For example a bank Chaprasi will get much more salary than the headmaster of the village school will get.

श्री रवि राय : यह जो शर्त आप बता रहे हैं इस के चलते तो गाँवों में कोई बैंक नहीं जा पायेगा। जो मैसिब मोबिलाइजेशन और सोशल टेंशन की बात आप रख रहे हैं, इस का मतलब तो यह हुआ कि दरभंगा में कोई बैंक नहीं जायेगा। फिर तो गाँवों में कैसे होगा ?

SHRI P. C. SETHI : I am not saying that because of this reason the banks would not go there and open branches.

श्री भोगेन्द्र झा : अध्यक्ष महोदय, मैं इन से कह रहा हूँ कि जो काइटोरिया तय किया है शहरों की प्राबादी का 61 की मर्दमशुमारी के आधार पर, उस के लिये क्या आप दरभंगा की जाँच कराएँगे और जो प्रमुख बड़े बाजार हैं। जहाँ लाखों का कारोबार रोज हो रहा है, लुटौना है वासौगट्टी है, राजनगर है, नेपाल का बोडर है, जयनगर है, यह बहुत बड़े व्यापारिक केन्द्र हैं, इन सब जगहों पर यह केन्द्र क्यों नहीं हो रहे हैं। और नहीं तो इन जगहों की जाँच कराएँ कि यहाँ यह शर्तें पूरी होती हैं या नहीं ?

SHRI P. C. SETHI : My idea was only to explain the position. I was not going to say that from this point of view they should not go to the rural areas. Our idea is to expand banking activities to the rural areas. I would urge hon. Member to consider the issue from this point of view also. A branch of a bank goes to the rural area not only for expansion of credit but also for mobilisation of deposits. Therefore it will have to be a two pronged drive; to advance loans to the sections of society which need loans and which are not getting credit at present, secondly mobilisation of deposits on a massive scale by bank expansion. The advance to agriculturists and farmers was to the tune of 38.02 crores, after nationalisation it stands at Rs. 103.6 crores. (*Interruptions*)

श्री रवि राय : कौन वर्ग लिए हैं ? भूमिहीन लिए हैं ? हरिजन लिए हैं ? बड़े किसान लिए होंगे ?

श्री भोगेन्द्र झा : वह रिजल किसान के पास नहीं जा रहा है । बड़े बड़े करोड़पति लोग ले रहे हैं । जिन्होंने बड़े बड़े फार्म खोल लिए हैं, उन्होंने लिया है ।

SHRI P. C. SETHI : I am giving the figures of agricultural advances. I am not talking of industries at all. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, Order.

SHRI P. C. SETHI : As far as the numbers of borrowal accounts are concerned, in June, 1969, it was 17,1880. Now the number of borrowal accounts in January, 1970 stands at 4,21,007.

श्री भोगेन्द्र झा : क्या यह बिहार की फिगर है । यहाँ बिहार के विषय में बहस हो रही है, आप कहां के बारे में जवाब दे रहे हैं ? बिहार के बारे में बतलाइये । सबाल बिहार का है, जवाब बम्बई के बारे में दे रहे हैं ।

SHRI P. C. SETHI ; I am not talking of Bihar. (*Interruption*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Order, order.

SHRI P. C. SETHI : I am pointing out the overall position.

MR. DEPUTY-SPEAKER : They want the figures for Bihar.

SHRI P. C. SETHI : I will give the figures for Bihar also. As far as Bihar is concerned, as was pointed out by me in the previous reply, actually it is not only 62 but now the latest information is that there would be 86 branches which would come up in Bihar. As far as the places which the hon. Members has mentioned are concerned—Saraiya, Janjarpur and Tajpur—I had said in the previous reply that the matter of granting them a licence is under examination of the Reserve Bank. I have information that the Reserve Bank has granted licence to the Central Bank for opening branches in Saraiya, Janjarpur and Tajpur. As far as Madhubani is concerned, there is already the State Bank of India there. Besides this the Reserve Bank has also granted permit to the Central Bank to open a branch there. Therefore, these banks will be opened in due course of time.

I would also like to point out that lead banks have been appointed for these districts, I certainly appreciate the anxiety of hon. Members with regard to Darbhanga and the other two districts which he has mentioned. We would like the lead banks to complete the survey at the earliest, and as soon as the survey work is completed, we would ask the lead banks to approach the Reserve Bank for granting a licence and this expansion programme in the Bihar area will certainly be taken up. I would urge the hon. Members that we also desire, as they desire, that the banks should function with efficiency, and there should be no kind of corruption there, because, that would cut at the very grass-roots of nationalisation and these who indulge in it would take advantage of nationalised banks and go against it. From this

point of view also, we would like the Reserve Bank to frame certain rules with regard to the application forms, disposal of application forms, etc. I would urge the hon. Member not to take that attitude that if these things are not done, they would gherao the banks.

SHRI BHOGENDR JHA : What else could be done ? अगर फार्म नहीं मिले तो वह क्या करे ? आप रूलज दो-चार महीने में बनायेंगे, तब तक कैसे चलेगा ? अगर कोई आदमी बैंक में जाय, वहाँ उसको फार्म न मिले, बिना घूस के दरखास्त स्वीकार न हो— तब वह क्या करे ? आप सदन में कह दीजिए कि घूस दे कर लेले ।

SHRI P. C. SETHI : We are taking it up. (*Interruption*) If this is the attitude...

SHRI S. KUNDU (Balasore) : Those who are charging 10 per cent on Rs. 100 as commission—they are talking with the agents of the banks. A new class is being created. They have been self-employed, without the Minister giving them any appointment order. (*Interruption*)

श्री भोगेन्द्र झा : मुझे भी जवाब सूझ नहीं रहा है, आप सुझा दीजिए। इसका इलाज बताइये ।

श्री प्र० चं० सेठी : इलाज यह है कि रिजर्व बैंक को प्रीपर रूलज फ्रैम करने के लिए दिया जाएगा। अगर आप के पास कोई शिकायत हो, जिसे आप पेश कर सकें तो हमें दे दीजिए। उसकी जांच कराकर सजा दी जायगी।

श्री भोगेन्द्र झा : लिख कर घूस कीन मांगता है ?

SHRI P. C. SETHI : If that be the attitude, everybody would like to take the law and order in his own hands rather than wait for the proper machinery to put things straight. That is not going to solve the problem but will on the contrary accentu-

ate the problem. I certainly appreciate the anxiety of the hon. Members. During the course of the debate on the Banking Bill, it was pointed out by the hon. Law Minister, and we have taken it up with the banks and we are going to open a cell in every bank,—

श्री रबि राय : सेल कब तक खुल जायेगा ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जल्दी ही खुल जायेगा ।

श्री भोगेन्द्र झा : कोई अवधि बताइये ।

SHRI P. C. SETHI :—so that this cell will be in charge of such types of complaints and they will enquire into such types of complaints. I would certainly urge hon. members to be vigilant.

श्री रबि राय : हमारा सवाल था, आप नाम नहीं दे रहे है। कौन अप्लाई किये थे ? भूमिहीन हरिजन अप्लाई किए थे ?

SHRI P. C. SETHI : All these points are being looked into. I need not go into greater details.

श्री रबि राय : कुण्डू साहब का सवाल था, आपने कहा कि आप नहीं दे पाएंगे ।

SHRI P. C. SETHI : I will have to look into this case, because certainly it is not desirable that we should disclose how much money is there in a particular account, but if information like whether a particular application came to the bank and whether it was granted or not, if not why not, etc., if such type of information is asked for, I will verify why we should not be in a position to give it. I would certainly look into the point raised by the hon. member, Mr Rabi Ray. I am not promising that. I will do it but I will look into it whether this can be done or not.

श्री रबि राय : स्कीम कब लाएंगे ? अगले सत्र में लाएंगे ? वह तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल

[श्री रबिराय]

है। यह नहीं होने से ग्रामीण लोगों का सवाल हल नहीं हो पाएगा।

SHRI P. C. SETHI : As far as the scheme is concerned, the Law Minister has announced that we would try to bring the scheme as early as possible.

AN HON. MEMBER : What about tribal area ?

SHRI P. C. SETHI : Tribal area is part of India and that is also covered.

18.17 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, May 14, 1970/Vaisakha 24, 1892 (Saka)